भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं0 981

27 जून, 2019 को उत्तर के लिए

ØfMV fyadM jkt lgk;rk ;kstuk

981. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
डॉ॰ हिना गावीतः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या vkokl u vkj 'kgjh dk;l मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना की क्रेडिट लिंक्ड राजसहायता योजना (सीएलएसएस) के तहत कवर किए गए आय समूहों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार/आय समूह श्रेणी–वार उन लोगों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस योजना के तहत राजसहायता का लाभ उठाया है;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त योजना के बारे में जागरूकता बेहद कम है, विशेष रूप से निम्न और मध्य आय समूह के बीच और यदि हां, तो सरकार द्वारा मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या योजना में जिस उद्देश्य के लिए इसे स्थापित किया गया था उसे प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इसके प्रारंभ के बाद से योजना के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या परिणाम रहे; और

(च) क्या योजना के तहत वित्तीय सहायता को बढाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

<u>उत्तर</u>

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क): प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {□ीएमएवाई[यू]} के ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक में 3,00,000/-रू□ये तक की □ारिवारिक वार्षिक आय वाले आर्थिक रू□ से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और 300,001/-रू□ये से 6,00,000/-रू□ये तक की □ारिवारिक वार्षिक आय वाले निम्न आय वर्ग (एलआईजी) सम्मिलित हैं। इस स्कीम में मध्यम आय वर्ग के दो

आय वर्ग अर्थात 6,00,001 रूपये से 12,00,000 रूपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले मध्यम आय वर्ग-I (एमआईजी-I) और 12,00,001 से 18,00,000 रूपये की वार्षिक पारिवारिक आय वाले मध्यम आय वर्ग-II (एमआईजी-II) के रूप में शामिल हैं।

(ख): राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र/ आय वर्ग की पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष की श्रेणीवार सूचना अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

(ग): जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से, ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक सहित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {पीएमएवाई[यू]} मिशन की मुख्य विशेषताओं को समझाने के लिए शहर, राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर नियमित रूप से बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। मिशन के तहत स्थापित परियोजना प्रबंधन इकाई और वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं । मिशन के ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी सहित बारह भाषाओं में रेडियो स्पॉट प्रसारित किए गए हैं। साथ ही, सोशल मीडिया और नुक्कड़ नाटकों के माध्यमों का प्रभावी ढंग से उपयोग हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के संबंध में बैंकों, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और अन्य प्राथमिक ऋण दाता संस्थाओं (पीएलआई) में जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हडको) नामक दो केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) द्वारा नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। ८राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में स्कीम की प्रगति की समीक्षा की जाती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) की व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता शिविर और कार्यशालाएं आयोजित करते हैं।

(घ) : जी हां। प्रगति के संबंध में संलग्न विवरण का अवलोकन किया जा सकता है।

(ड) : जी नहीं। अब तक, स्कीम के लिए कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(च): जी नहीं। वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

******

अनुलग्नक

दिनांक 27.06.2019 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 981 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए पीएमएवाई (यू) के ऋण संबंद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/आय वर्ग श्रेणी-वार सूचना

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)				निम्न आय वर्ग (एलआईजी)				मध्यम आय वर्ग (एमआईजी)			
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	अंडमान और निकोबार समूह द्वीप (यूटी)	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	54	90	630	153	186	510	3,619	913	-	1,280	4,647	1,660
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-
4	असम	4	28	29	-	10	203	202	6	-	18	184	65
5	बिहार	41	66	355	66	61	212	1,569	349	-	286	1,362	377
6	चंडीगढ़ (यूटी)	-	5	7	3	4	17	47	5	-	35	100	22
7	छत्तीसगढ़	366	574	1,460	236	322	823	2,365	609	-	182	1,367	309
8	दादर और नगर हवेली (यूटी)	20	155	310	54	34	182	450	106	-	29	91	25
9	दमन और दीव (यूटी)	2	34	80	12	-	26	94	18	-	5	31	2
10	दिल्ली (यूटी)	71	215	718	44	103	1,293	3,831	356	-	979	5,630	439
11	गोवा	1	5	27	3	9	37	145	25	-	57	220	34
12	गुजरात	5,457	14,303	41,072	3,562	4,337	18,436	58,374	8,077	-	3,435	16,559	2,443
13	हरियाणा	49	203	1,036	156	180	636	3,173	485	-	824	4,660	768
14	हिमाचल प्रदेश	5	10	32	8	10	28	120	29	-	29	107	23
15	जम्मू और कश्मीर	8	44	42	3	18	68	170	15	-	11	48	47
16	झारखंड	9	37	152	15	35	89	1,333	245	-	180	1,324	392
17	कर्नाटक	271	366	1,698	312	307	1,039	5,273	913	-	2,630	13,600	2,589
18	केरल	153	738	3,262	630	123	521	2,104	308	-	169	1,183	378

19	लक्षद्वी□ (यूटी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	931	2,621	7,955	1,449	916	2,853	10,776	2,510	-	748	4,648	925
21	महाराष्ट्र	1,894	6,592	18,919	1,641	3,997	17,448	57,113	6,404	-	7,276	33,837	4,022
22	मणि□र	2	6	12	-	20	86	32	-	-	-	11	-
23	मेघालय	4	5	8	-	18	18	42	2	-	3	3	-
24	मिजोरम	9	39	74	7	22	147	217	1	-	-	6	1
25	नागालैंड	-	1	2	-	1	4	4	-	-	-	8	-
26	ओडिशा	48	97	163	31	62	294	540	204	-	120	909	267
27	□दुचेरी (यूटी)	3	11	17	8	9	25	105	12	-	15	163	16
28	□ंजाब	60	291	1,158	260	99	738	2,746	518	-	381	2,760	426
29	राजस्थान	503	1,433	5,190	783	506	1,770	8,308	2,126	-	833	5,293	1,459
30	सिक्किम	-	-	2	1	-	1	6	2	-	1	-	-
31	तमिलनाडु	312	786	2,429	430	825	1,970	7,289	1,127	-	1,814	9,146	1,558
32	तेलंगाना	59	121	507	156	232	599	3,901	1,173	-	1,638	11,180	1,944
33	त्रि□रा	1	30	42	3	9	58	186	2	-	6	134	18
34	उत्तर प्रदेश	254	950	3,338	597	563	2,828	12,728	1,584	-	2,524	15,423	2,332
35	उत्तराखंड	32	330	519	134	61	764	1,693	308	-	163	1,228	239
36	□श्चिम बंगाल	98	322	1,510	196	162	1,194	5,107	1,319	-	1,353	4,771	948
कुल		**10,721**	**30,508**	**92,755**	**10,953**	**13,241**	**54,917**	**1,93,669**	**29,751**	**-**	**27,025**	**1,40,633**	**23,728**